न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. [illegible] 2022 तारीख रजू 11-11-22

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

केस आईडी नम्बर 2022/676

उनवान

[illegible] पुत्र भैरोलाल जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली

--वादीगण

बनाम

[illegible] पुत्र भैरोलाल जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली

--प्रति वादीगण–09

फर्द अहकाम

11/11/22 यह दावा वादी की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.11.2022 को पेश हो।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

28/11/22 वकुलाय उपस्थित/गैरहाजिर अधिकारी [illegible] पधारे है। वकालत दिनांक..... को पेश हो।
21-1-23

24/1/23 वकुलाय उपस्थित/गैरहाजिर अधिकारी [illegible] पधारे है। वकालत दिनांक..... को पेश हो।
20-2-23

20/2/23 पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक..... को पेश हो
25-4-23

4/4/23 पत्रावली आज अंतिम [illegible] हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित [illegible] अवगत कराया कि वादी व [illegible] मार्ग नहीं खाना चाहता है। वादी प्रकरण [illegible] अदालत में समाप्त करना चाहते है अतः मु०न० 326/22 [illegible] गोविन्द नोटियार में समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नस्ती की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:15 IST
Reason: SelfAttested